

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

कमांक 35 अ-82/2017-18 तावला 110214/

बैतूल दिनांक 20-08-2018

घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 6 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा (क्षेत्रफल हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	तावला	19.987	लिहदा लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

अ०क्र०	खसरा नम्बर	रकबा हे० में	अर्जन की भूमि का रकबा हे० में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	1	3.089	1.456	पून्ज्या पंजाबराव संजय वल्द डोमा जाति कुन्बी बिहरगांव भूमि स्वामी
	3	0.328	0.328	
	4	0.162	0.162	
	5	0.275	0.275	
	6	0.575	0.287	
	7	0.142	0.142	
	8	0.182	0.182	
	13	1.813	1.368	

2	2	0.449	0.449	चन्द्रकला बेवा कचरया, घनश्याम विजय वल्द कचरया इमला गीता पिता कचरया, पता निवासी ग्राम बिहरगांव भूमि स्वामी
3	9/1	0.186	0.186	ईठोबा वल्द झांगो जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम लिहदा भूमि स्वामी
	11/1	0.518	0.518	
	12/2	0.647	0.547	
	11/3	0.077	0.077	
4	9/2	0.227	0.227	आनंदराव वल्द शिवराम जाति कुन्बी पता निवासी ग्राम लिहदा भूमि स्वामी
	11/2	0.591	0.591	
	12/1	0.526	0.526	
5	10	0.065	0.065	गवनसिंह वल्द भैया पता सा. बिहरगांव भूमि स्वामी
	81/1	0.039	0.039	
	86/1	0.619	0.619	
	86/4	0.704	0.303	
6	16	1.012	0.540	पंजाबराव वल्द डोमा पता निवासी ग्राम बिहरगांव भूमि स्वामी
7	17	1.081	0.566	खुट्टू वल्द श्यामराव, कला पिता श्यामराव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
8	76/1	1.277	0.405	राजाराम वल्द जगन जाति किराड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

9	81/2	0.039	0.039	गंभीरसिंह वल्द भैया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	82/1	1.214	1.214	
	86/2	0.470	0.470	
10	86/3	1.235	0.617	चन्द्रभानसिंह वल्द भैया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
11	80/6	0.866	0.202	विजय वल्द गुरुदयाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
	82/2	0.446	0.446	
12	83	0.709	0.709	अमरसिंह, सुमरसिंह, सुन्दरसिंह वल्द झामसिंह घुड़ी पिता झामसिंह जाति राजपूत पता सा.बिहरगांव भूमि स्वामी
	103	0.214	0.052	
	100	0.918	0.918	
13	84	0.714	0.714	सेवासिंह, जगदीश वल्द ओमकारसिंह जाति राजपूत पता सा. बिहरगांव भूमि स्वामी
	101	0.725	0.405	
14	85/1	0.445	0.445	जगदीश वल्द ओमकार जाति राजपूत पता सा. बिहरगांव भूमि स्वामी
	85/3	0.142	0.142	
	85/4	1.96	0.343	
15	98/1	1.294	0.607	ओमकार व० बुधसिंह जाति राजपूत पता सा०बिहरगांव
16	85/2	1.194	0.891	नरेन्द्र व० देवसिंग जाति राजपूत पता सा०बिहरगांव
	98/2	1.356	0.992	

17	99	1.024	0.923	प्रितमसिंह अजूरसिंह बाबूसिंह सरवनसिंह नजरसिंह पारबती सया पिता नजरसिंह पता निव ग्राम भूमिस्वामी
योग		29.549	19.987	


(2)– चूंकि लिहदा जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3)– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4)– समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,


(शशाकि मिश्र) W/S


 कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क0 35 अ-82/17-18/2024/

बैतूल दिनांक 20-08-2018

प्रतिलिपि:--

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन की पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत लिहदा तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।


कलेक्टर बैतूल एवं समूचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग